



बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

सूचना

पत्रांक-04/STA-(विविध)-04/2022 (खण्ड) 7428

पटना, दिनांक- 05.09.2026

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा-3(c-a) के तहत पूर्व में अधिसूचित अन्तर्देशीय मार्ग सं०-3119 (बेगुसराय से नवादा, भाया-जीरोमाईल, सिमरिया, बड़हिया, विद्यापीठ, लखीसराय, रामगढ़, हलसी एवं सिकन्दरा) के भाया में जनहित में संशोधन हेतु प्रारूप का प्रकाशन परिवहन विभाग के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/transport> पर निम्नवत् किया जा रहा है :-

| बसों के परिचालन हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के तहत अधिसूचित मार्ग के भाया में प्रस्तावित संशोधन से संबंधित विवरणी। |              |                   |                                                                           |                                                                |                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| क्र० सं०                                                                                                                             | मार्ग संख्या | मार्ग का नाम      | पूर्व का भाया                                                             | मार्ग का संशोधित भाया                                          | मार्ग की दूरी (कि०मी०) | अभियुक्ति |
| 1                                                                                                                                    | 3119         | बेगुसराय से नवादा | जीरोमाईल, सिमरिया, बड़हिया, विद्यापीठ, लखीसराय, रामगढ़, हलसी एवं सिकन्दरा | जीरोमाईल, सिमरिया, बाढ़, बख्तियारपुर, हरनौत, बिहारशरीफ, गिरियक | 139                    |           |

यदि उपर्युक्त मार्ग के संशोधित भाया के संबंध में किसी व्यक्ति/वाहन स्वामी को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो सूचना निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर परिवहन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना में लिखित रूप में समर्पित/उपलब्ध करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

राज्य परिवहन अधिकारी  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 7428

पटना, दिनांक- 05.09.2026

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

राज्य परिवहन अधिकारी  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 7428

पटना, दिनांक- 05.09.2026

प्रतिलिपि :- आई०टी०, मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन अधिकारी  
बिहार, पटना।